अध्याय–प्रथम
शोध परिचय

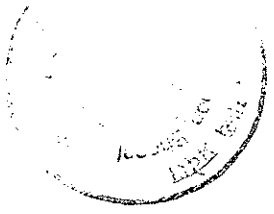

1.1 प्रस्तावना :–

5 अगस्त 2009 में संसद भवन में (बच्चों के लिए) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिनियम यानि कि शिक्षा का अधिकार 2009 विधेयक पेश किया गया जो पारित होकर 1 अप्रैल 2010 में पूरे भारत में लागू किया गया हैं।

इसके पहले शिक्षा का अधिकार विधेयक 1999 में सदन में रखा गया, किन्तु कुछ कारणवश वह विधेयक पारित नहीं हो पाया। जब 1999 में यह पारित नहीं हुआ तो फिर से उसको वर्ष 2001 में पुनः सदन में रखा गया। किन्तु फिर भी कुछ कारणों की वजह से वह पारित नहीं हो पाया और और तिसरी बार इस विधेयक को सदन में रखा गया तो आखिर वह 5 अगस्त 2009 पारित किया गया।

वर्ष 2002 में 86 कलम को संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 A (1) को जोडकर शिक्षा को नागरिकों का एक मूल अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 21 (A) में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उसी रीति से जैसा राज्य विधि द्वारा अवधारित करने की व्यवस्था करे। लेकिन स्वतंत्र भारत के मूल संविधान में भी बच्चों के लिए प्रावधान रखा गया था, जो निम्न प्रकार हैं।

1.2 भारतीय संविधान में नागरिकों का मूल अधिकार और शिक्षा का प्रावधान :–

भारतीय संविधान भाग तीन में अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार दिये गये हैं वे हैं – (i) समानता का अधिकार ,(ii) स्वतन्त्रता का अधिकार, (iii) शोषण के विरूद्व अधिकार, (iv) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, (v) सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और (vi) संविधानिक उपचारों का अधिकार।

संविधान के अनुच्छेद 45: बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध :– राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौंदह वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद–46 : में अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा अन्य दुर्बल विभागों के शिक्षा और शिक्षा सम्बन्धी हितों की उन्नतिः राज्य जनता के दुर्बलतर वर्गो के विशेषवतया अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति कर सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

अनुच्छेद 45 से संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के खण्ड चार में रखा गया, लेकिन शिक्षा के बारे में संवैधानिक दृष्टि से चार महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गौर करना जरूरी हैं। पहला, खंड चार में यह एक मात्र अनुच्छेद हैं जिसकी पूर्ति के लिए समय सीमा रखी गयी थी। संविधान लागू होने के दस साल के भीतर इस संकल्प को पूरा करना था जो आज तक नहीं हुआ। दूसरा, 14 साल की उम्र तक में छः वर्ष से कम उम्र के भी बच्चे शामिल थे यानि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और पूर्व प्राथमिक शिक्षा को राज्य की जवाबदेही में शामिल किया गया था। तीसरा, संविधान ने आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा का एजेंडा राज्य के सामने रखा था, न कि महज पांच साल की प्राथमिक शिक्षा का चौथा, इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 46 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसमें संविधान ने दलित और आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए राज्य को निर्देशित किया था। इस प्रकार संविधान के बाद बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, 1974 में प्रावधान रखा गया।

1.3 बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1974

राष्ट्र के बच्चे एक अत्यंत महत्वपूर्ण संपदा हैं। उनका पालन पोषण और उसकी देखभाल हमारा उत्तर दायित्व हैं। मानव संपादा के विकास की

हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रम का प्रमुख स्थान होना चाहिए ताकि हमारे बच्चें बड़े होकर हस्टपुष्ट नागरीक बनें, वे शारीरिक रूप से स्वस्थ, मेधावी और सच्चरित्र हो और उनमें ऐसी प्रवृत्तियाँ और कौशल हों जिनकी समाज को आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि विकास की अवधि में सभी बच्चों को विकास के समान अवसर दिए जाएँ क्योंकि इससे असमानता कम करने और सामाजिक न्याय स्थापित करने के हमारे बड़े उद्देश्य की भी पूर्ति होगी।

1.3.1 बच्चों के लिए नीति और उपाय :-

सरकार की यह नीति होगी कि बच्चों का पूरी तरह शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जन्म से पहले तथा जन्म के बाद और उनकी विकास अवधि के दौरान पर्याप्त सेवाएँ उपलब्ध की जाए। सरकार इन सेवाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी ताकि उपयुक्त समय में देश के सभी बच्चों को उनके संतुलित विकास के लिए महत्तम सुविधाएँ मिल सकें। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशेष रूप से अग्रलिखित उपाय अपनाए जाएगें।

- ❖ सभी बच्चें एक व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत लाए जाएगें।
- ❖ बच्चों के आहार में जो कमियाँ हैं उन्हें दूर करने की दृष्टि से बच्चों के लिए पौष्टिक आहार संबंधी सेवाओं के कार्यक्रम चलाए जाएगें।
- ❖ गर्भिणी और स्तन्यदा माताओं के स्वास्थ्य में सामान्य सुधार लाने तथा उनकी देखभाल, पौष्टिक आहार तथा उससे संबंधी शिक्षा के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएगें।
- ❖ सरकार 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। स्कूलों में वर्तमान अपव्यय और गतिहीनता को दूर करने के लिए, विशेषकर लड़कियों और समाज के कमजोर वर्गो के बच्चों के मामले

में, विशेष प्रयत्न किए जाएगें। इन वर्गो के लिए स्कूल जाने से पहले की अवस्था में अनौपचारिक शिक्षा- कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।

- ❖ जो बच्चे औपचारिक स्कूल-शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा सकते उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार किसी और रूप में शिक्षा दी जाएगी।
- ❖ समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए समाज के कमजोर वर्गो के बच्चों को ग्रामीण तथा शहरी, दोनों क्षेत्रों में विशेष सहायता दी जाएगी। इनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो के बच्चें शामिल होंगें।
- ❖ ऐसे बच्चों के लिए जो सामाजिक दृष्टि से कमजोर हों, जो अपराधी हो गए हों या जो भीख माँगने पर मजबूर किए गए हो, शिक्षा, प्रशिक्षण में उनकी सहायता की जाएगी।
- ❖ बच्चों को उपेक्षा, अत्याचार और शोषण से बचाया जाएगा।
- ❖ 14 वर्ष से छोटे बच्चे को किसी भी खतरनाक धंधे में नहीं लगाया जाएगा और नहीं उससे भारी काम लिया जाएगा।
- ❖ जो बच्चे विकलांग हों, या विपरीत भावनाओं वालें हों या जिनका मानसिक विकास कम हुआ हो, उनको विशेष उपचार, शिक्षा-पुनः स्थापन और देखभाल की सुविधाएँ दी जाएगी।
- ❖ होनहार बच्चों को, और विशेष रूप से समाज के दुर्बल वर्गो के ऐसे बच्चों को ढूँढ निकालने, उन्हें प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जाएगे।
- ❖ बच्चों के लिए सेवाओं का गठन करते समय ऐसे प्रयास किए जाएँगे कि पारिवारिक संबंध मजबूत बनें ताकि सामान्य पारिवारिक पड़ोसी तथा सामाजिक वातावरण में बच्चों के विकास की सभी संभावनाएँ अमल में लाई जा सकें।

उपरोक्त भारतीय संविधान और विविध राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के लिए और खास करके आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए प्रावधान रखा गया, फिर भी ऐसा कौन सा कारण है जो स्वतंत्र भारत

के 63 साल भी पूरे होने वाले है, फिर भी अभी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं।

क्योंकि हमारे देश में अलग-अलग एवं विभिन्न सामाजिक, आर्थिक स्तर के रूप में एकत्रित 40% के आसपास की वस्ती में रहने वाले बच्चे आते है। इसमें से मुख्य रूप से इसके माता-पिता के साथ में सामाजिक और आर्थिक रूपसे प्रभावग्रस्त है और इतना ही नहीं उसे अपेक्षित पोषण, स्वास्थ्य संबंधि देखभाल एवं शिक्षा प्राप्त करने को मौका नहीं मिल पाता।

स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं इस प्रस्तुत परिस्थिति से परिचित थे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 39 में बताये गये राज्य इसकी नीति के आधार पर सीधे अमल अमूक बातों में कर सकते है। जैसे कि स्वास्थ्य एवं मजेरों, पुरूषों की शक्ति अपरिपक्व वय के बच्चों की शक्ति का गैर उपयोग नहीं करना तथा नागरिकों को अपनी आर्थिक जरूरतों के मुताबिक उनकी वय और शक्ति से ज्यादा कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से भारत देश 40% के आसपास के लोग रहते है इसमें भी दलित एवं पिछड़े वर्गो के लिए विविध योजना लागू किया है।

1.4 सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग :-

भारत में अनेक जातियाँ थी। इन जातियों में शूद्रों को निम्न जाति का माना गया और देश में कुछ भागों में तो उन्हें छूना मना कर दिया गया। अस्पृश्यता भारत का एक सामाजिक कलंक बना। ये जातियाँ सामाजिक दृष्टि से सुख-सुविधाओं से वंचित कर दी गई। इन्हें समाज में रहने, लोगों के साथ उठने-बैठने, एक साथ भोजन करने, एक कुँए से पानी लेने की मना ही थी। सामाजिक रूप से वंचित वर्ग सामाजिक दृष्टि से निर्बल होने के कारण आर्थिक द्रष्टि से भी निर्बल व वंचित हो गया।

इन जातियों में निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, पुस्तकें, वस्त्र एवं लेखन सामग्री आदि निःशुल्क व्यवस्था के रूप में दी जाये।

1.5 आर्थिक रूप से वंचित वर्ग :-

भारत में अत्यधिक गरीबी है। जन संख्या का एक बड़ा भाग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, गरीब व्यक्ति अपने लिए और अपने बच्चों के भरण-पोषण में भी अपने को कभी कभी असमर्थ पाता है।

गरीब माँ-बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। वे बच्चों से घर का काम लेते हैं। यदि बच्चे खेती पर उनके रोजगार में सहायता न करें तो उन्हें और उनके पूरे परिवार को दो समय का भोजन भी न मिले। इसलिए वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। यदि वे बच्चों को स्कूल भेजना चाहते भी हैं तो बच्चों की कॉपी-किताब के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते।

भारत में पंच वर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्नमूलन के प्रयास किये गये है। गरीबी उन्मूलन के नारे की बैसाखी से स्वतन्त्र भारत में कई सरकारें सत्तारूढ़ हैं, किन्तु इस दिशा में प्रवृत्ति बहुत धीमी रही। हमारे शिक्षा आयोगों ने इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे शिक्षा-नीतियों में भी इस ओर ध्यान दिया गया हैं।

इस प्रकार उपरोंक्त विविध परिस्थितियों को निपटने के लिए शिक्षा विभाग ने विविध योजनाएँ क्रमानुसार चालू की गई।

1.6 शिक्षा विभाग के विविध योजनाएँ :-

देश में सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था किए जाने हेतु सरकार द्वारा पूर्व में यो तो अनौपचारिक शिक्षा (1979), ओपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (1987), बेसिक शिक्षा परियोजना (1993), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994), मध्याह्न भोजन योजना (1995),

महिला समाख्या कार्यक्रम (1989), शिक्षा गारंटी योजना (1999), सर्व-शिक्षा अभियान (2001), राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (2004), कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना (2004), राष्ट्रीय शिक्षा प्रोत्साहन योजना (2005), विशेष आवासीय बालिका विद्यालय योजना (2005), ब्रिजकोर्स एवं आंगनवाडी (बाल केन्द्र) (1992), इत्यादि।

साथ ही दलित/पिछड़े अल्प संख्यकों के बच्चों हेतु मासिक छात्रवृत्ति योजनाएँ जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किए गए हैं और इनका कई क्षेत्रों में अनुकूल प्रभाव भी दृष्टिगोचर हुआ है।

कुल मिलाकर उपरोंक्त सारे की सारे योजनाएँ सर्व शिक्षा अभियान (2001) के साथ जोड़ी गई जो विविध उद्देश्यों के साथ लक्ष्य निर्धारित करने के लिए। अब सर्व शिक्षा अभियान की विविध योजना के बारे में संक्षिप्त में जानेगें।

1.7 सर्व शिक्षा अभियान की विविध योजनाएँ और मध्याह्न भोजन योजना।

सभी व्यक्ति को अपने जीवन की बेहतरी का अधिकार है, लेकिन दुनिया भर के बहुत सारे बच्चें इस अवसर के अभाव में ही जी रहे हैं। क्योंकि, उन्हें प्राथमिक शिक्षा जैसे अनिवार्य मूलभूत अधिकार भी मुहैया नहीं कराई जा रही हैं।

भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलायें जा रहें कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2000 के अन्त तक भारत में 04 वर्ष प्रतिशत ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 7 कि.मी. की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 3 कि.मी. की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएँ उपलब्ध थी। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गो के बच्चों तथा बालिकाओं का अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में नामांकन कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किये गये। प्रथम पंच वर्षीय योजना से लेकर अब तक

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या एवं स्कूलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई हैं।

सर्व शिक्षा अभियान को सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से ही जाना जाता है अथवा प्रत्येक व्यक्ति एक को पढाए, भी कहा जाता है। यह सरकार द्वारा चलाए जा रहे- एक अनुकरणीय कार्यक्रम के रूप में 2000-01 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को उपयोगी तथा सार्थक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई।

नागरिकों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएँ आरंभ की है। ग्रामीण अंचलों में निवासरत बालक/ बालिकाओं को शिक्षा के विकास हेतु कार्यक्रमों/ योजनाओं का संचालन किया जा रहा है- जो निम्नलिखित हैं :-

1. अनौपचारिक शिक्षा
2. ओपरेंशन ब्लैक बोर्ड- योजना
3. महिला समाख्या कार्यक्रम
4. लोक जुम्बिश योजना
5. ब्रिज कोर्स
6. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
7. स्कूल चले हम
8. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना
9. आंगनवाडी (बाल केन्द्र) कार्यक्रम
10. मध्याह्न भोजन योजना इत्यादि।

1.7.1 (1) अनौपचारिक शिक्षा :-

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को सर्व प्रथम छठी पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत शैक्षिक रूपसे पिछड़े राज्यों आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, म.प्र., उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, प. बंगाल तथा (बाद में) अरूणाचल प्रदेश में केन्द्रित सहायता कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा के ये केन्द्र उन बच्चों हेतु अत्यावश्यक रूप से उपयोगी ये जो स्कूल दूर होने (प्राथमिक स्कूल एक कि.मी. दूर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 कि.मी. दूर होने के कारण) परिवार की आर्थिक अक्षमता, कृषि कार्यों में परिवार वालों की मदद करने वाले बच्चों तथा घर के लिए ईधन/ रसोई एवं पानी तक सीमित वालों की मदद करने वाले बच्चों तथा घर के लिए ईधन/ रसोई एवं पानी तक सीमित रह जाने वाली लड़कियों हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के रूप में महत्वपूर्ण थे क्योंकि, इन सभी कारणों से विरतता (ड्राप आउट) दर अत्यधिक ऊँची बनी हुई थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पश्चात इस कार्यक्रम को संशोधित कर इसे अन्य सभी राज्यों की शहरी मलिन बस्तियों, पहाडी, आदिवासी जनजातीय एवं सुदूर क्षेत्रों के काम करने वाले बच्चों तक उपलब्ध करया गया।

1.7.2. (2) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वर्ष 1987-88 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक शालाओं को निम्न लिखित न्यूनतम साधन उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये-

- खिलौने और खेल सामग्री, दो बड़े कमरे।
- श्यामपट, चार्ट और मानचित्र
- शौचालय
- दरी, फर्नीचर एवं बाधयंत्र

- इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक शाला के लिए न्यूनतम दो शिक्षक हो, जिनमें एक महिला हो। उपरोक्त बातें प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई, पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा को सुधारने के लिए एक क्रमिक अभियान शुरू किया गया।

1.7.3 (3) लोक जुम्बिश परियोजना :-

बुनियादी शिक्षा के दो बाह्य सहायित कार्यक्रम शिक्षाकर्मी एवं लोक जुम्बिश राजस्थान में संचालित किये गये। ये दोनों प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के नवाचार कार्यक्रम हैं जिसमें समाज के सुदूर एवं पिछड़े गाँवों के लैंगिक समता आधारित गुणात्मक सुधार पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम का प्रमुख प्रयास सामुदायिक सह भागिता हैं।

1.7.4. (4) महिला समाख्या :-

लिंग आधारित एक अन्य बाह्य सहयित कार्यक्रम महिला समाख्या वर्ष 1989 में पाँच राज्यों में प्रारंभ किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना है। इसमें सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं पर अधिक बल दिया गया हैं।

1.7.5 (5) आवासीय ब्रिज कोर्स :-

आवासीय ब्रिज कोर्स का उद्देश्य उन बालिकाओं के लिए है जो शालासे बाहर हैं, जो कभी स्कूल नहीं गयी या जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड दी हैं। उन्हें अपनी उम्र के मुताबिक औपचारिक स्कूल में उचित शिक्षा में प्रवेश पाने के लिये तैयार करना हैं।

प्रत्येक जिले में एक आवासीय ब्रिजकोर्स बालिका के लिये होगा। जिन ग्रामों में बालिकाओं की संख्या कम हैं या जहाँ किसी ऐसे काम में

लगी हुई हैं जिसमें निकालकर स्थानीय स्तर पर शाला में डालना संभव नहीं हैं या जहाँ पलायन की समस्या हैं वहाँ ऐसी बालिकाओं को आवासीय ब्रिजकोर्स में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके लिये जन-शिक्षा केन्द्र स्तर पर शिबिर लगाये जायेगे। आवासीय ब्रिजकार्स में 100 बालिकाओं के लिये पठन-पाठन आवास भोजन की व्यवस्था होती हैं।

1.7.6. (6) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय :-

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से 2004 में शुरू की गई। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित की जाती है।

यह परियोजना वंचित वर्ग की उन बालिकाओं के लिए जो अनेक कारणों की वजह से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाती। बालिकाओं की इस स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए भारत सरकार ने कई प्रयास किए जैसे लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क पोषाक, मध्याह्न भोजन इत्यादी।

अनुसूचित जनजाति, पिछडी अल्प संख्यक व गरीबी रेखा के नीचे की वे बालिकाएँ जो घर की मजबूरियों, सामाजिक असुरक्षा एवं पूर्वाग्रहों या अन्य किसी कारणवश अपनी पाँचवी तक की पढ़ाई या उसके बाद भी पढ़ाई नहीं कर सकी और शिक्षा से वंचित है ऐसी किशोरियों को पढने की योजना इस विद्यालय में हैं। ध्यान देने वाली बात हैं कि यह विद्यालय केवल स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों के लिए ही हैं। इस आवासीय विद्यालय में किशोरियों को छठवीं से आठवीं तक की पढ़ाई करवाई जाती हैं।

1.7.7. (7) आँगनवाड़ी (बाल केन्द्र) योजना :-

इस योजना में 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए रखा गया है, जिसमें बाल विकास, शारीरिक मानसिक विकास एवमं पौष्टिक आहार देने के लिए साथ-साथ सँवागी विकास हेतु किया गया है। आँगनवाडी कार्यकर्ताओं

को व्यापक भूमिका निभानी पडती है उन्हें महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जाने वाली सहायता सेवाओं तथा अनेक बालविधियों जैसे बाल अनुरक्षण परिवार-कल्याण, पोषण और स्वास्थ्य जैसी गतिविधियों का मुख्य बिन्दु होना चाहिए।

यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक- सामाजिक एवं पिछड़े वर्गो के लिए खास रूप से उपयोगी योजनाएँ है, क्योंकि, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गो के बालकों के माता-पिता खास करके पूरे दिन खेत में या अन्य किसी प्रकार से मजदूरी करते रहते है इसी कारण उनके बच्चें उम्र के मुताबिक आँगनवाडी एवं मध्याह्न भोजन योजना के कारण स्कूल में भेजते है। इसी कारण यह योजना सार्थक एवं सिद्व साबित हुई है।

1.7.8. (8) मध्याह्न भोजन योजना :-

मध्याह्न भोजन योजना एक अत्यन्त जनोपयोगी योजना है जो भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समवेत प्रयासों से संचालित हैं। जो सामाजिक एवं आर्थिक परिवार के बच्चों को पौष्टिक आहार मिले इसी लिए, क्योंकि, भारत देश एक अल्प आधुनिक देश के रूप में ख्याति प्राप्त कर रहा हैं, परंतु मूल वास्तविक को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है कि आज भी देश के 40% के आसपास के लोग या जन संख्या का एक बडा भाग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे है। गरीब व्यक्ति अपने लिए और अपने बच्चों के भरण-पोषण में भी अपने को कभी-कभी असमर्थ पाता है।

पूरे भारत में आज भी गरीब माँ-बाप अपने से स्कूल नहीं भेज पाते। वे बच्चों से घर का काम लेते है। यदि बच्चे खेती पर उनके रोजगार में सहायता न करें तो उन्हें और उनके पूरे परिवार को दो समय का भोजन भी न मिले। इसलिए वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। इसी कारण भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने सर्व प्रथम- वर्ष 1982 में तमिलनाडु और उसके बाद 1984 में गुजरात राज्य में चालु किया गया। परंतु पूरे

भारत में विविध उद्देश्यों के साथ 15 अगस्त 1995 में चालु किया। जिसमें विविध शिक्षा नीति के साथ सुधार किये गये हैं।

1.8. संशोधित पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्राथमिक शिक्षा,2004 के लिए दिशा निर्देश (नया मध्याह्न भोजन योजना)

'राज्य में विशेष रूप से, प्रत्यक्ष-सुरक्षा के प्रति अपनी करेगा.... कि बच्चों के अवसर और सुविधाओं के लिए एक स्वस्थ तरीके से स्वतंत्रता और गरिमा की स्थिति में और विकास और है कि बचपन और युवाओं के शोषण के खिलाफ की रक्षा की और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ हैं दी जाती है (अनुच्छेद-39, च)'

राज्य पोषण का स्तर बढ़ाने के संबंध में और अपने लोगों के जीवन और अपने प्राथमिक कर्तव्यों में के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के मानक होगा..... (अनुच्छेद-47) उपरोक्त बाते कुपोषण से बचने के लिए प्रावधान रखा गया है क्योंकि मध्याह्न भोजन में पौष्टिक आहार से कुपोषण में कमी हो सकती है।

1.9. कुपोषण और उसके कारण शिक्षा के उपर प्रभाव :

कुपोषण बढ़ रहा बच्चों में व्यापक रूप से भारत में प्रचलित है, प्रमुख पोषक तत्वों की कमी के संबंध में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कुपोषण का प्रमुख कारण मां की कम उम्र में शादी, शादी के फौरन बाद गर्भधारण, नवजात शिशु का कम वजन का होना, सूंपर्ण टीकाकरण न होना, छह माह तक के शिशुओं को सिर्फ मां का दूध न पिलाना, सही समय पर पूरक पोषण आहार न देना और खास करके कमजोर आर्थिक स्थिति बातई गई है।

कुपोषण नहीं केवल रूगणता और मृत्यु दर को जन्म देता है और एक पूरी तरह कार्यात्मक वयस्क में से एक बच्चे के विकास रोकता है, यह प्रतिकूल निम्नलिखित तरीके में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्रभावित करता है।

एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कुपोषण से मरने वाले की संख्या सबसे ज्यादा भारत में और भारत में कुपोषण से मरने वाले बच्चें मध्यप्रदेश में 2005-06 से 2008-09 तक एक लाख बाइस हजार से ज्यादा बच्चों की कुपोषण के कारण अकाल मौत हुई है।

कुल मिलाकर उपरोक्त लिखित चर्चा के बाद हम कह सकते हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से और कुपोषण को कम करने के लिए भारत सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना जो बच्चों को पोषक तत्वों के साथ भोजन मिले और साथ में स्कूल में नामांकन में वृद्धि और स्थगितता को कम करने में सार्थक एवं सिद्ध साबित होता है, इसलिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा (2005) में मध्याह्न भोजन योजना का जीक्र किया है।

1.10 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) में मध्याह्न भोजन योजना का प्रावधान।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के दौरान इस देश के ज्यादातर बच्चों के कुपोषण और छूत के रोगों का सामना करना पड़ता हैं। इसलिए स्कूल में हर स्तर पर इस समस्या से निपटने की जरूरत है, विशेषकर कमजोर सबके बच्चों और लडकियों के लिए यह प्रस्तावित किया गया हैं कि मध्याह्न भोजन (मिड-डे-मील) कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया जाए और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा भी दी जाए जो विकास के अलग-अलग चरणों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी दे।

1940. के दशक में स्कूलों के लिए विस्तृत स्वास्थ्य कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई थी, जिसके छह प्रमुख घटक थे- स्वास्थ्य सेवा, स्वस्थ स्कूल पर्यावरण, दोपहर का भोजन, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा इत्यादि ये घटक बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है और इनको पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने की जरूरत है। जो संपूर्ण जो आज के भारत में सार्थक एवं सिद्ध साबित होती है।

1.11 मध्याह्न भोजन योजना का कार्यक्रम :

नामांकन, उपस्थिति बनाए रखने और साथ ही बच्चों में पोषण स्तर में सुधार को बढ़ाने के लिए कए दृश्य के साथ, पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्राथमिक शिक्षा के लिए एन.एस.पी.ई. एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को शुरू की, इसके पहले 1982 में तामिलनाडु में सर्वप्रथम चालु किया और उसके बाद 1984 में गुजरात इस योजना चालु की गई और 2000-01 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ उपरोंक्त योजना जोड़ा गया।

इस मध्याह्न भोजन योजना के भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने विविध उद्देश्यों को निर्धारित किया गया जो इस प्रकार हैं।

1.11.1 मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य :-

- प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि।
- छात्रों को स्कूल में पूरे समय रोके रखना तथा विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति (ड्राप आउट) में कमी।
- निर्बल आयवर्ग के बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना।
- छात्रों को पौष्टिक आहार (पोषक तत्व) प्रदान करना।

- विद्यालय में सभी जाति एवं धर्म के छात्र–छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द्र, एकता एवं परस्पर भाई चारे की भावना जागरूक करना।
- ग्राम स्तर पर पूरक रोजगार के तक पूरी करना।
- गरीबी दूर करने के लिए राज्य द्वारा यथायोग्य प्रयत्न करना।

इस प्रकार उपरोंक्त उद्देश्यों के साथ (भारत सरकार और गुजरात सरकार) मध्याह्न भोजन योजना को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखा गया।

1.11.2. नवीनीकरण :–

गुजरात के सभी केन्द्र में मध्याह्न भोजन योजना समिति का संगठन किया हैं, जिसमें स्कूल के आचार्य, सरपंच और चार अभिभावको का प्रतिनिधिओं होते हैं। सरकारी ठराव के लक्ष्य मा–बाप और प्रतिनिधिओं को शामिल करना पउता है।

गुजरात के पास मजबूत सामाजिक मूल्यो और समूदाय की भागीदारी कार्य विकास के लिए हैं। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बहुत गाँवों में शादी, शादी तिथि, मरणोंत्तर कियाओं और श्राद्ध जैसे प्रसंगो में बालको को मूफ्त अनाज पूर्ति किया जाता है। वर्ष 2007/08 के अंतर्गत एक सर्वेक्षण के मूताबिक 3109 लाख शालाओं में मध्याह्न भोजन दिया गया था।

➢ वर्ष अनुसार मध्याह्न भोजन योजना में होने वाला खर्च और लाभार्थीओं की संख्या तालिका 1 में दर्शायी गई हैं।

वर्ष	लाभार्थीओं (लाख में)	खर्च (लाख में)
1984-85	20.00	3178.00
1990-91	19.90	6256.00
1995-96	25.07	6625.00
2001-02	29.56	9120.00
2005-06	37.57	19030.00
2006-07	38.26	26386.00
2007-08	39.50	24435.90
2008-09	40.01	24540.43

1.11.3. (2) योजनान्तर्गत पके-पकाये भोजन की व्यवस्था :-

गुजरात में गुजरात सरकार ने प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पौष्टिक आहार मिले इसीलिए इस योजना में दैनिक एक बच्चे के उपयोग में लेने के लिए खाद्य सामग्री।

क्र.	खाद्य सामग्री	भोजन में (एक बच्चे के साथ) ग्राम में सभी लाभार्थी के लिए।
1.	गेहूँ का आटा	- 50 ग्राम
2.	चावल	- 50 ग्राम
3.	दाल/ चावल	- 20 ग्राम
4.	खाद्य तेल	- (पहले 10 ग्राम था/अभी 5ग्राम
5.	सब्जी/विविध मसालाओं	- 50 ग्राम
		180 ग्राम

1.11.4 शैक्षिक रूप से पिछडे ब्लॉक में उच्च प्राथमिक (कक्षा–6–7) में दैनिक एक–एक बच्चे के उपयोग में लेने वाले खाद्य सामग्री।

क्र.	खाद्य सामग्री	भोजन एक–एक बच्चे के लिए (ग्रम में) सभी लाभार्थी के लिए
1.	गेहूँ का आटा	– 75 ग्राम
2.	चावल	– 75 ग्राम
3.	खाद्य तेल	– 5 ग्राम
4.	सब्जी/विविध मसालाओं	– 50 ग्राम
		230 ग्राम

1.11.5 योजना में एक बच्चे के लिए दैनिक खर्च करने के लिए व्यवस्था

क्र.	खाद्य सामग्री	रू.पैसा
1.	अनाज	0.80
2.	अन्य खाद्य सामग्री (सब्जी, मरी– मसाला चीनी अथवा गुड)	0.55
3.	ईधन	0.15
4.	छूटक–आकस्मिक खर्च	0.25
5.	वहीवटी खर्च	0.25
	कुल खर्च	1.75

1.11.6. मध्याह्न भोजन योजना के संचालक, उसको बनाने वाले और मददनीस को वेतन

1) संचालक – 500 2) रसोई बनाने वाले– 250

3) मददनीश – 175 4) योग – **925**

उपरोक्त मध्याह्न भोजन योजना के संचालक, भोजन बनाने वाले रसोईयाँ और मददनीश का वेतन जो गुजरात राज्य ने निर्धारित किया गया हैं।

1.11.7. खाद्यान्न की व्यवस्था :-

मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन अर्थात् भोजन पकाने का कार्य ग्राम पंचायतों की देख-रेख में किया जा रहा है। भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न (गेहू एवं चावल) जो फूड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया से निःशुल्क प्रदान किया जाता है, इसे सरकारी सस्ते अनाज की दुकान से प्राप्त कर ग्राम प्रधान द्वारा देख-रेख में विद्यालय परिसर में बने किचनशेड में भोजन तैयार कराया जाता है। भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का दायित्व भी ग्राम प्रधान का ही है। इस हेतु उसे परिवर्तन लागत भी उपलब्ध का कार्य स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा हैं।

1.11.8. निगरानी तंत्र :-

स्कूल शिक्षा और साक्षरता, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग में निगरानी और मध्याह्न भोजन योजना के पर्यवेक्षण के लिए एक व्यापक और विस्तृत व्यवस्था निर्धारित की है। निगरानी तंत्र में निम्नलिखित शामिल हैं।

राज्य से लेकर ग्राम पंचायत/ग्राम सभाओ, VECs, PTAs, SDMCs के रूप में अच्छी तरह से माता समितियों के सदस्यों के प्रतिनिधियों के लिए निगरानी आवश्यक है। दैनिक आधार पर निगरानी तंत्र की देखरेख -

- अनाज की गुणवत्ता प्राप्त प्राप्ति की तारीख।
- अनाज की मात्रा का उपयोग किया।
- अन्य खरीदे सामग्री, का उपयोग।

- बच्चों की संख्या मध्याह्न भोजन दिया।
- दैनिक मैन्यु।
- समुदाय कार्यक्रम में शामिल सदस्यों की सूची।

1.11.9 भारतीय खाद्य निगम के दायित्व :-

भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध सर्वोत्तम गुणवत्ता का अनाज मुद्दे को सौंपा गया है, जिसमें किसी भी स्थिति हो पर साफ औसत गुणवत्ता का होना कम से कम होना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम के प्रत्येक राज्य के लिए नियुक्त एक नोडल अधिकारी खाद्यान की आपूर्ति के तहत लेने के लिए, जिला कलेक्टर/ जिला पंचायत के सी.ई.ओ. सुनिश्चित करना चाहिए।

इस प्रकार भारत सरकार और राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना को विविध उद्देश्यों के साथ प्राथमिक स्कूल में नामांकन एवं पोषक तत्व के आधार पर भोजन मिले इस लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा हैं।

1.12. समस्या कथन :-

सर्व शिक्षा अभियान की मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्यों की उपलब्धिः एक अध्ययन।

1.13. अध्ययन का उद्देश्य :-

सर्व शिक्षा अभियान की मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्यों की उपलब्धि का अध्ययन करना।

1.14. शोध प्रश्न :-

- प्राथमिक स्कूल में मेनू के आधार पर दोपहर का खाना मिलता है क्या ?
- मध्याह्न भोजन के कारण प्राथमिक कक्षाओं के नामांकन में वृद्धि हो रही है क्या ?
- 'मध्याह्न भोजन' के कारण स्कूल में पूरे समय रोके रखना तथा विद्यालय छोडने की प्रवृत्ति में कमी आ रही है क्या ?
- 'मध्याह्न भोजन' के कारण निर्बल आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करता है ?
- मध्याह्न भोजन में शामिल सभी बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है क्या ?
- मध्याह्न भोजन के निगरानि में प्राथमिक शिक्षक, ग्रामसभा, ग्राम पंचायत काम कर रही है क्या ?
- मध्याह्न भोजन में सभी जाति एवं धर्म के छात्र-छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध हो रहा है क्या ?
- अनुसूचित जाति या निम्न जाति के छात्रों को खाना पिरोसने के लिए शिक्षक बोलते है नहीं ?
- दोपहर का भोजन लेते समय सभी जाति एवं धर्म के छात्रों में समानता एवं एकता परस्पर भाई-चारे की भावना जागरूकता होती है या नहीं ?
- मध्याह्न भोजन में सभी जाति एवं धर्म के छात्रों खाने के लिए आते है या नहीं।
- भारत सरकार या राज्य सरकार के अनुदान को पूरी तरह से उपयोग में लाते है या नहीं ?

1.15. अध्ययन की आवश्यकता :-

भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विविध योजनाएँ चालु की गई है इसमें मध्याह्न भोजन जो एक विशेष योजना के रूप से जाना जाता है। इसमें सरकार ने आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों के लिए पोषक तत्व वाला पौष्टिक आहार मिले और स्कूल में नामांकन के लिए भारत सरकार ने उसके विविध उद्देश्यों को रखा गया है जिसमें प्राथमिक कक्षाओं के नामांकन में वृद्धि, पूरे समय रोके रखना, विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति मे कमी, निर्बल आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा धारण करने की क्षमता विकसित करना। छात्रों को पोषणयुक्त आहार मिले तथा विद्यालय में सभी जाति एवं धर्म के छात्र-छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द्र, एकता एवं परस्पर भाई-चारे की भावना जागरूक करना। उपरोंक्त उद्देश्यों की उपलब्धि को देखने के लिए अध्ययन करना आवश्यक बनता हैं।

1.16. अध्ययन की सीमाएँ :-

1. गुजरात राज्य के अमरेली जिले के राजुला तहसील तक सीमित है।
2. यह अनुसंधान 5 स्कूल तक ही सीमित है।
3. सर्व शिक्षा अभियान के एक ही योजना पर किया गया है।
4. यह अनुसंधान मर्यादित समय में किया गया है।
5. यह अनुसंधान एक छोटे पैमाने पे किया गया है।